

>

Title: Need to facilitate issuance of caste certificate to people belonging to 'passi' scheduled caste community in the country particularly in Uttar Pradesh-laid.

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज): मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ सहित अन्य जिलों में पासी अनुसूचित जाति के लोगों को अधिकतर जगह जाति प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं जैसे कि उ०प्र० में पासी जाति अनुसूचित जाति में शामिल है, जिसका अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र पश्चिमी क्षेत्र मुरादाबाद, मेरठ, रामपुर, शामली, बुलन्दशहर, अलीगढ़ सहारनपुर आदि जिलों में तथा देश के विभिन्न प्रदेशों जैसे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में नागपुर, मुम्बई, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, दिल्ली हरियाणा, राजस्थान जैसे प्रदेशों में भी कई कई वर्षों से रह रहे पासी जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र न जारी करके इनके हक अधिकार का शोषण किया जाता है जोकि एक तरह का दलित उत्पीड़न है । देश में पासी जाति का सदियों पुराना इतिहास है जो प्रमाणित भी है ।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि उ०प्र० के विभिन्न जनपदों में पासी जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश के सभी जिला प्रशासन को निर्देशित किया जाए और यदि जहाँ जहाँ जिला प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है उसकी जानकारी होने पर केन्द्र सरकार की ओर से भी इनके खिलाफ दलित उत्पीड़न की कार्यवाही की जाए । साथ ही देश के विभिन्न जनपदों में पासी अनुसूचित जाति के लोगों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु उचित कदम उठाए जायें ।